



# Kumarappa National Handmade Paper Institute

(KVIC- Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises Govt. of India)  
RAMSINGHPURA SIKARPURA ROAD, SANGANER JAIPUR-302029(INDIA)  
Phone/Fax : 0141-2947819  
Email : knhpijaipur@gmail.com/ www.knhpi.org.in  
Recognized by Deptt.of Scientific and Industrial Research Govt.of India

शिल्प श्रम सनातन

## सूचना

इस कार्यालय द्वारा संस्थान के खुले परिसर में रखे पुराने कबाड जिसमें पुराने अनुपयोगी भारी मशीनें, भारी, मध्यम एवम हल्के लोहे के समान एवं इलेक्ट्रोनिक सामान को डिस्पोज करने हेतु दिनांक 29.12.2023 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, लेकिन प्रर्याप्त टेन्डर प्राप्त नही होने की वजह से इस प्रक्रिया को दिनांक 22.01.2024 तक के लिए बढ़ाया जाता है।

इस संबंध में टेन्डर फॉर्म कार्यालय से प्राप्त कर सकते है एवं अन्य जानकारी इस कार्यालय की वेवसाईट [knhpi.org.in](http://knhpi.org.in) पर देख सकते है।

राहुल  
राज्य निदेशक

प्रति 57 किसानों का  
सम्मान निधि की अगली किश्त  
के दौरान पंजीकृत किसानों के  
त्यापन, बैंक खाते को आधार  
वेबल कराना व ई-केवाईसी भी  
में 4.50 लाख स्व पंजीकरण  
त्यापन नहीं हुआ है।

सम्मान निधि: महिला किसानों के लिए पीएम किसान  
सम्मान निधि की राशि 6 हजार से 12 हजार रुपए  
करने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में 28 लाख  
महिला किसान हैं। इसमें से पीएम किसान सम्मान  
निधि के योग्य महिला किसानों की जांच करवाई जा  
रही है। आयकरदाता व सरकारी नौकरी वाली महिला  
किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं दी जा रही है।



## KUMARAPPA NATIONAL HANDMADE PAPER INSTITUTE

(KVIC- Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Govt. of India)

RAMSINGHPURA SIKARPURA ROAD, SANGANER JAIPUR-302029(INDIA)

Phone/Fax: 0141-2730369 Email: knhpilalpur@gmail.com, knhpijpr@dataone.in, www.knhpi.org.in

Recognized by Deptt. of Scientific and Industrial Research Govt. of India

### सूचना

इस कार्यालय द्वारा संस्थान के खुले परिसर में रखे पुराने कबाड जिसमें पुराने अनुपयोगी भारी मशीनें, भारी, मध्यम एवं हल्के लोहे के समान एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान को डिस्पोज करने हेतु दिनांक 29.12.2023 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, लेकिन पर्याप्त टेन्डर प्राप्त नहीं होने की वजह से इस प्रक्रिया को दिनांक 22.01.2024 तक के लिए बढ़ाया जाता है।

इस संबंध में टेन्डर फॉर्म कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं एवं अन्य जानकारी इस कार्यालय की वेबसाइट [knhpi.org.in](http://knhpi.org.in) पर देख सकते हैं।

राज्य निदेशक

उत्तर पश्चिम रेलवे



ई-ऑक्शन आमंत्रित करने की सूचना

No. Comml/E-Auction/2023/77

Dt. 08.01.2024

उक्त के सन्दर्भ में विभिन्न गाड़ियों के वीपीयू लीजिंग के ठेके हेतु ई-ऑक्शन आमंत्रित की गई है। कैटेलॉग IREPS वेबसाइट पर प्रकाशित किए जा चुके हैं।

1.	कार्य का नाम :	(1)	जोधपुर मंडल से संचालित गाड़ियों के वीपीयू में स्थान लीज पर माल पार्सल की लोडिंग हेतु ई-ऑक्शन
2.	कार्य की अवधि	(1)	वीपीयू - 2 वर्ष
3.	लॉट के ई-ऑक्शन प्रारम्भ की तिथि एवं समय	(1)	VPU's : (1) Parcel-JU-61 दिनांक 23.01.2024 को 11.00 बजे से

4. वेबसाइट जहाँ से लॉट वाईज ई-ऑक्शन के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। : [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in)

**नियम व शर्तें :-**

1. निविदाकर्ता को मौके पर समस्त स्केप / कबाड का कार्यालय समय प्रातः 10.00 से सांय 4.00 बजे के मध्य मुआयना करने की अनुमति होगी।
2. निविदाकर्ता को मुआयना करने के पश्चात उनके द्वारा आंकी जाने वाली स्केप / कबाड की कुल मात्रा की एक मुश्त राशि को अंको तथा अक्षरो में फाईनेक्सियल बिड में अकिंत कर बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डालना है।
3. निविदाकर्ता को रू.20,000/- अक्षरे रू.बीस हजार मात्र की राशि बतौर धरोहर कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान के नामे डी.डी. से टेक्निकल बिड के साथ सलंगन कर बन्द लिफाफे में जमा करनी होगी जो कि चयनित के अतिरिक्त शेष प्रतिभागियो को वापस की जायेगी। यदि चयनित निविदाकर्ता कबाड को लेजाने में असफल होता है अथवा अपनी बातो से मुकरता है तो उस परिस्थिति में उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. टेक्निकल बिड के साथ निविदा कर्ता को निविदा फार्म के साथ सक्षम कार्यालय द्वारा जारी स्केप से संबंधित निम्न दस्तावेजो को सलंगन करना अनिवार्य होगा।
  - रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र,
  - प्रदूषण प्रमाण पत्र,
  - ट्रांसपोर्टेशन प्रमाण पत्र,
  - जी.एस.टी प्रमाण पत्र,
5. समस्त स्केप / कबाड की प्रस्तुत निविदा अनुसार कुल राशि को पूर्व में जमा अमानत राशि को छोडकर शेष राशि कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान के नामे डी.डी. से तत्काल जमा करानी होगी। उपरोक्त समस्त राशि की प्राप्ति के पश्चात समस्त स्केप को ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
6. उपरोक्त समस्त स्केप / कबाड को संस्थान परिसर से ले जाने की समस्त जिम्मेदारी चयनित निविदाकर्ता की होगी। स्केप को डिस्पोज करने संबंधित प्रमाण पत्र यथा पोल्युशन, ट्रांसपोर्ट इत्यादी के सक्षम कार्यालय के प्रमाण पत्र की प्रति सलंगन करनी होगी।
7. किन्ही परिस्थितियो में निविदाकर्ता यदि समस्त स्केप / कबाड का पूर्ण मूल्य संस्थान को तय समय सीमा में दे पाने में असमर्थ रहता है अथवा अपनी बातो से मुकरता है तो उस परिस्थिति में निविदाकर्ता के विरुद नियमानुसार लीगल कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसकी पूर्णतया जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
8. चयनित निविदाकर्ता द्वारा कार्यालय आदेश अनुसार समस्त स्केप / कबाड को तीन दिवस में संस्थान परिसर से उठवाना होगा।
9. निविदाकर्ता को समस्त कबाड का एक बिल मय जी.एस.टी का बनाकर कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
10. उपरोक्त में निदेशक, कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

निदेशक



हस्ताक्षर निविदा कर्ता मय सील

दिनांक :-